# जनपद शामली पुलिस

## --सोशल मीडिया सेल शामली--

**प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक-11.06.2025**

**थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बदलूगढ़ में हुई व्यक्ति की हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

ज्ञात हो कि दिनांक 09.06.2025 की रात्रि में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत देवेंद्र सिंह पुत्र पलटू सिंह निवासी ग्राम बदलूगढ थाना कैराना जनपद शामली अपने घेर में चारपाई पर बैठे थे तभी मोटर साइकिल सवार व्यक्तियो द्वारा आकर फायर कर दिया जिससे एक गोली देवेन्द्र सिंह के सिर में लगने से घायल हो गये। घायल देवेन्द्र को उपचार हेतु सीएचसी कैराना ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरो द्वारा देवेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर तत्काल सभी उच्चाधिकारीगण, थाना कैराना पुलिस, एसओजी, सर्विलांस व फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर प्रत्यक्षदर्शियों/परिजनों से घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी। मृतक का मोमीन पुत्र करीमुद्दीन, भूरा पुत्र करीमुद्दीन, तनवीर पुत्र अब्दुल कय्यूम, यूसुफ पुत्र नूर मौहम्मद निवासीगण कस्बा कैराना जनपद शामली से दुकान पर कब्जे को लेकर माननीय न्यायालय कैराना मे वाद/विवाद चल रहा है। मृतक के पुत्र सुनील की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 341/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम मोमीन आदि 04 नफर कैराना जनपद शामली के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बदलूगढ़ में हुई व्यक्ति की हत्या में वांछित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1.मौहम्मद मौमीन पुत्र करीमूदीन निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

2.भूरा उर्फ यामीन पुत्र करीमूद्दीन निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.प्र0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.व0उ0नि0 श्री यशपाल सिंह सोम थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 शशि मलिक थाना कैराना जनपद शामली।

**उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व कुल 9000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-**

1.-वर्ष 2013 में अभियुक्त समीर पुत्र अल्लादीन निवासी सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 429/13 धारा-3/5/8 गौवध अधिनियम व 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.06.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2011 में अभियुक्त रूपेश पुत्र टीकाराम निवासी बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 533/11 धारा-279,337,427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.06.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त सभी धाराओं में दोषी पाते हुए कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।